भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2253

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 09 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

रुपया डिज़िटल मुद्रा

2253. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रुपया डिज़िटल मुद्रा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की जाती है और केंद्र सरकार इसकी गारंटी देती है;
(ख) यदि हां, तो क्या पूर्ण रूप से कार्यान्वित किए जाने से पूर्व प्रायोगिक आधार पर कोई कार्य किया गया है;
(ग) इसके चरणबद्ध कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;
(घ) क्या सरकार देश में स्वापक तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध विदेशी मुद्रा (हवाला) और आतंकवाद के वित्तपोषण हेतु प्रयुक्त अन्य वैश्विक क्रिप्टो-मुद्राओं के उपयोग से अवगत है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) (ई₹) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है और केंद्र सरकार द्वारा इसकी गारंटी दी जाती है।

(ख) से (ग): न तो सीबीडीसी-रिटेल और न ही सीबीडीसी-होलसेल को पूरी तरह से शुरू किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 1 नवंबर, 2022 को होलसेल सेगमेंट (ई₹-डब्ल्यू) में और 1 दिसंबर, 2022 को रिटेल सेगमेंट (ई₹-आर) में डिजिटल रुपए के लिए पायलटस शुरू किए गए थे। अभी तक, सीबीडीसी को व्यापक पैमाने पर शुरू करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ): जी, हाँ।

(ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से अपराधों की निवारण, संसूचन, अन्वेषण और अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, विधि प्रवर्तन एजेंसियां ने

ऐसे मामलों की पहचान की है जहाँ क्रिप्टो मुद्राओं को स्वापक पदार्थों एवं मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध विदेशी मुद्रा के संचालन आदि जैसी गतिविधियों से जोड़ा गया है। प्रवर्तन निदेशालय धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कई मामलों की जांच कर रहा है, जिनमें धन शोधन के लिए क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग पाया गया है। ऐसे ही 01 मामले में, यह पाया गया है कि क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया गया है। इस मामले में 130 करोड़ रुपये (लगभग) की क्रिप्टो मुद्रा (बिटकॉइन) जब्त करके पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही, अपराध से प्राप्त 9.67 करोड़ रुपये की आय को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा, इस मामले में 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 02 अभियोजन संबंधी शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, 03 मामलों में यह पाया गया है कि क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग अवैध विदेशी मुद्रा विनिमय (हवाला) के लिए किया गया है। इन मामलों में 1.36 करोड़ रुपये (लगभग) की क्रिप्टो मुद्रा (यूएसडीटी) जब्त करके पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, अपराध से प्राप्त 40.46 करोड़ रुपये की आय को फ्रीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा, इन मामलों में 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 02 पूरक पीसी सहित 04 अभियोजन संबंधी शिकायतें (पीसी) दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो ने अपनी जांच के दौरान ऐसे मामले देखे हैं, जहां मादक पदार्थों के तस्करों ने बिटकॉइन, मोनेरो, एक्सएमआर, यूएसडीटी, टीआरएक्स और ईथर जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग किया है।

*****